भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4289

19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: उत्पादन लागत के अनुसार एमएसपी

4289. प्रो. सौगत रायः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्पादन लागत के अनुसार विभिन्न कृषि उत्पादों के एमएसपी तय करने के लिए किसी मानदंड का पालन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों से विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) देशभर के किसानों को घोषित एमएसपी का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभिन्न कारकों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में कृषि आय और लागत में काफी अंतर है; और

(च) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और देशभर के किसानों के लिए एक समान आय सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार, प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करते हुए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर किसी क्षेत्र या राज्य विशेष के लिए न करके पूरे देश के लिए 22 अधिसूचित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है।

एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी महत्वपूर्ण कारकों जैसे उत्पादन की लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर-फसल मूल्य समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव के अतिरिक्त भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित किए जाने और उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत मार्जिन सुनिश्चित करने पर विचार करता है।

सरकार ने 2018-19 के अपने केंद्रीय बजट में, पूर्व निर्धारित सिद्धांत के रूप में एमएसपी को उत्पादन लागत के न्यूनतम डेढ़ गुना के स्तर पर रखने की घोषणा की थी। तदनुसार, सभी अधिसूचित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक के मार्जिन के साथ तय किया गया है।

(ग): पिछले तीन वर्षों से 22 अधिसूचित कृषि फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

(घ): एमएसपी नीति के उद्देश्यों को साकार करने के लिए, एमएसपी की घोषणा के बाद, सरकार किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य नामित राज्य एजेंसियों के माध्यम से अनाज और मोटे अनाज खरीदती है। दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से मूल्य समर्थन योजना के तहत तब की जाती है, जब इन उत्पादों का बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे चला जाता है। पीएम-आशा योजना के तहत खरीद एजेंसियां राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) हैं। कपास और जूट की खरीद भी सरकार द्वारा क्रमशः भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय जूट निगम (जेसीआई) के माध्यम से एमएसपी पर की जाती है।

(ङ) और (च): कृषि उत्पादन लागत में सभी भुगतान की गई लागतें शामिल होती हैं, जैसे किराए का मानव श्रम, बैल श्रम/मशीन श्रम के लिए किया गया व्यय, पट्टे पर ली गई भूमि के लिए दिया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद, जैसे भौतिक आदानों के लिए नकद या वस्तु के रूप में किया गया व्यय, सिंचाई प्रभार, उपकरणों तथा फार्म बिल्डिंग का मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पम्प सेटों के संचालन के लिए डीजल/बिजली आदि, विविध व्यय और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य।

कृषि राज्य का विषय है और भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का समर्थन करती है। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के 21933.50 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 के लिए 1,37,756.55 करोड़ रुपये कर दिया है। भारत में छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएँ/कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

i. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
ii. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-के.एम.वाई.)
iii. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)/रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)
iv. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एम.आई.एस.एस.)
v. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.)
vi. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन और संवर्धन
vii. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एन.बी.एच.एम.)
viii. नमो ड्रोन दीदी
ix. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.)
x. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
xi. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)
xii. पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पी.डी.एम.सी.)
xiii. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एस.एम.ए.एम.)
xiv. परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)
xv. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एस.एच. एंड एफ.)
xvi. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)
xvii. कृषि वानिकी
xviii. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.)
xix. कृषि विस्तार उप-मिशन (एस.एम.ए.ई.)
xx. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एस.एम.एस.पी.)
xxi. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.)
xxii. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आई.एस.ए.एम.)
xxiii. समेकित बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.)
xxiv. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- ऑयल पाम
xxv. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- तिलहन
xxvi. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
xxvii. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
xxviii. राष्ट्रीय बांस मिशन

अनुबंध

दिनांक 19.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4289 के भाग (ग) के उत्तर से संबंधित अनुबंध

फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य

(मार्केटिंग सीजन के अनुसार) **(रुपये/क्विंटल)**

क्रम संख्या	**वस्तु**	**केएमएस 2023-24**	**केएमएस 2024-25**	**केएमएस 2025-26**
	<u>खरीफ़ फसलें</u>			
1	धान (सामान्य)	2183	2300	2369
	धान (ग्रेड 'ए')	2203	2320	2389
2	ज्वार (हाइब्रिड)	3180	3371	3699
	ज्वार (मालदंडी)	3225	3421	3749
3	बाजरा	2500	2625	2775
4	रागी	3846	4290	4886
5	मक्का	2090	2225	2400
6	अरहर	7000	7550	8000
7	मूंग	8558	8682	8768
8	उड़द	6950	7400	7800
9	कपास (मध्यम रेशा)	6620	7121	7710
	कपास (लंबा रेशा)	7020	7521	8110
10	मूंगफली	6377	6783	7263
11	सूरजमुखी बीज	6760	7280	7721
12	सोयाबीन पीला	4600	4892	5328
13	तिल	8635	9267	9846
14	रामतिल	7734	8717	9537
	<u>रबी फसलें</u>	**आरएमएस 2023-24**	**आरएमएस 2024-25**	**आरएमएस 2025-26**
15	गेहूँ	2125	2275	2425
16	जौ	1735	1850	1980
17	चना	5335	5440	5650
18	मसूर	6000	6425	6700
19	रेपसीड और सरसों	5450	5650	5950
20	कुसुम्भ	5650	5800	5940
	<u>वाणिज्यिक फसलें</u>			
		2023-24	**2024-25**	**2025-26**
21	जूट	5050	5335	5650
		2023	**2024**	**2025**
22	कोपरा (मिलिंग)	10860	11160	11582
	कोपरा (बॉल)	11750	12000	12100

नोट: केएमएस: खरीफ विपणन सीजन, आरएमएस: रबी विपणन सीजन

*****